# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–01, सैक्टर – नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला – गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)


पत्रांक:– ग्रे0नौ0 / अ0मु0का0अ0(टी0) / 2018–19 / 487 / वं.9.(त) दिनांक 23 / 07 / 2018

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संचालक मण्डल की 112वीं बैठक दिनांक 07 / 07 / 2018 में एजेण्डा मद संख्या–112 / 25 (कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–6 / 2018 / 256 / 78–2–2018–42 आई.टी. / 2017 / टी.सी. दिनांक 24 / 04 / 2018 के द्वारा ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से कार्य कराने की अनिवार्यता की सीमा को रू0 1.00 लाख से बढाकर रू0 10.00 लाख से अधिक के कार्यों पर करने के निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्माण / विकास, उद्यान एवं विद्युत कार्यों की निविदा को ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित करने की अनिवार्यता सीमा रू0 1.00 लाख को बढाकर रू0 10.00 लाख से अधिक के कार्यों पर किये जाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। अन्य प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. महाप्रबन्धक–वित्त / परियोजना को सूचनार्थ।
3. उप महाप्रबन्धक–परियोजना (के0 / ए0) को सूचनार्थ।
4. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक को अनुपालनार्थ।
5. प्रबन्धक (सिस्टम) को उक्त आदेश वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

Balk

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी